निर्णय बाईजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां

प्रकरण संख्या : 39/15
दायरा दिनांक :

बउनवान

1. मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र कान्हा जाति कुम्हार निवासी राजपुरा वार्ड बारां तह. बारां।

वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र कान्हा जाति कुम्हार निवासी कुंजबिहार कॉलोनी अटरू रोड बारां तह. बारां।
2. श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी आनन्द गर्ग जाति महाजन निवासी मंडी रोड, बारां तह. बारां।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

प्रतिवादीगण/अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92 व 188 RTAct

उपस्थित :–

1. श्री योगेश गुर्जर एड. वादी
2. श्री ओमप्रकाश मेहता II एड. प्रति. कम 2

प्रार्थना पत्र धारा 11 एवं सपठित धारा 151 CPC

::: निर्णय :::

दिनांक : 26/02/2021

उक्त उनवानी प्रकरण में अभिभाषक प्रति. कम 2 ने प्रति. क्रम. 2 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 11 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि उक्त आराजीयात के संदर्भ में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में वाद क्रमांक 134/04 बउनवान दाखा बाई बनाम मांग्या उर्फ मांगीलाल घोषणा एवं बंटवारे का पेश हुआ था। जो विधिवत संपूर्ण सुनवाई कर साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय करते हुए खारिज किया गया। निर्णय दिनांक 22.09.2008 द्वारा खारिज किए गए वाद की अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो अपीलांटगण द्वारा अपील को आगे नही चलाने के आधार पर दिनांक 05.11.2009 को खारिज की गई। इस प्रकार इस तथ्य को छिपाकर वादी द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर रेसज्यूडिकेटा का असर रखने के कारण चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से जर्ये अभिभाषक इस आशय का पेश हुआ कि उक्त उनवान का दावा व प्रार्थना पत्र वादी व प्रार्थी की ओर से प्रतिवादी व

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा दिनांक 13.04.2001 के पारिवारिक बंटवारा नामा जो दिनांक 20.11.2001 को जर्ये नोटेरी कान्हा के वारिसान मांग्या उर्फ मांगीलाल, ओमप्रकाश, दाखां बाई, विमला बाई व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह तय हुआ कि मूसलिया खाल से पश्चिम की ओर का 8 बीघा का टुकडा ओमप्रकाश का रहेगा और पूर्वी ओर का टुकडा बडे भाई मांग्या के हिस्से में रहेगा जो 10 बीघा भूमि है। वादी व प्रतिवादी क्रम1 का जमाबंदी में नाम व हिस्सा बराबर दर्ज होने पर प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बदनियति आ गई तथा उसने बिना वादी को बताये अपने हिस्से की आराजी का बेचान प्रतिवादी क्रम 2 को कर दिया तथा पारिवारिक बंटवारा नामा दिनांक 20.01.2001 की अवहेलना कर एक बीघा भूमि ज्यादा प्रतिवादी क्रम 2 को बेचान कर दी। वादी ने उस बंटवारेनामे की प्रति पत्रावली में प्रस्तुत कर रखी है जिसकी असल प्रति भी पूर्व अधिवक्ता के पास थी। लेकिन इन लोगों द्वारा उसे भी गायब करवा दिया गया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी कम 2 का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थियां/प्रति. क्रंम 2 ने कथन किया कि हस्तगत् प्रकरण प्रकरण संख्या 134/04 निर्णय दिनांक 22.09.2008 बउनवान दाखां बाई वगै. बनाम मांग्या उर्फ मांगीलाल वगैरह के आधार पर रेसज्यूडिकेटा का असर रखने के कारण चलने योग्य नही है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावें। वाद क्रमांक 134/04 एवं हस्तगत प्रकरण समान आराजी एवं समान पक्षकार होनेसे पूर्व निर्णय के सिद्वान्त से बाधित होने से हस्तगत प्रकरण खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि विवादित आराजी वाके माल सुसावन में अवस्थित है। जिसमें पूर्व में पिता के समय पारिवारिक बंटवारा लिखकर नोटेरी से प्रमाणित करवाया गया जिसमें वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त बंटवारें के संबंध में सहमति से हस्ताक्षर किए। कुछ समय बाद प्रतिवादी क्रम 1 की नियत में फर्क आ गया तथा हिस्सा बराबर दर्ज होने से अपने हिस्से की भूमि को बेचान की। उक्त बंटवारानामा पूर्व अधिवक्ता महोदय के पास होने के बाद भी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने मिलकर असल बंटवारानामा वादी को देने से इंकार कर दिया व फोटो प्रति देकर वादी को यह कहा कि असल बंटवारानामा गुम हो गया है। वादी ने नोटेरी से उक्त बंटवारे के संबंध में प्रमाणित प्रति ली जिसमें वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के हस्ताक्षर है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की नियत में खोट होने के कारण न्यायालय श्रीमान् में दावा प्रस्तुत किया है। अतः प्रतिवादी क्रमू 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट लगाकर खारिज किया जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम अभिभाषक प्रति क्रम 2 के तर्को से पूर्णतया सहमत है। हस्तगत प्रकरण पूर्व प्रकरण संख्या 134/04 निर्णय दिनांक 22.09.2008 बउनवान दाखां बाई वगैरह बनाम मांग्या उर्फ मांगीलाल वगैरह के आधार पर पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित है तथा रेस्ज्यूडिकेटा का असर रखने के कारण चलने योग्य नही है।

अतः वकील प्रार्थियां/ प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:34 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner